Legal Express: An International Journal of Law **ISSN 2394-465X**
Vol. VII, Issue-I March 2021

मुस्लिम विधि की प्रयोज्यता

डॉ. सुहेल अज़ीम कुरैशी

सारांश

भारत में समस्त मुस्लिमों पर मुस्लिम व्यक्तिगत विधि लागू होती है जो कि अपने आपको मुस्लिम कहता है। मुस्लिम जन्मजात, धर्मपरिवर्तन या इस्लाम में आस्था व्यक्त कर मुस्लिम होने वाले होते हैं। शरीयत के अनुसार यदि किसी बालक के माता-पिता में से यदि कोई भी एक मुस्लिम है तो मुस्लिम विधि लागू होगी। जब दोनों व्यक्ति एक ही संप्रदाय के हों तो उसी संप्रदाय की तथा यदि अलग-अलग हों तो प्रतिवादी की व्यक्तिगत विधि लागू होगी। इसी तरह से यदि दोनों पक्षकारों में से कोई एक गैर मुस्लिम है तथा प्रतिवादी मुस्लिम है तो भी प्रतिवादी की विधि लागू होगी। चूंकि वैयक्तिक मामले धर्म विशेष से संबंधित होते है। अतः अंग्रेजी काल में वैयक्तिक विधि से विनियमित होने की सुविधा प्राप्त थी। किन्तु कुछ मामलों में आंग्ल न्यायालयों में संपरिवर्तित मुस्लिम के संबंध में उसकी हिन्दू विधि संबंधी नियम लागू कर दिये जाते थे। इस बात से मुस्लिम समाज खिन्न होकर इसको मुस्लिम विधि में अनावश्यक हस्तक्षेप मानते हुए मुस्लिम विधि के स्वरूप में परिवर्तन के साथ दूषित होने की संभावना व्यक्त करते थे। इसके निदान हेतु केन्द्रीय विधानमंडल द्वारा 7 अक्टूबर 1937 को मुस्लिम विधि में प्रयोज्यता वास्ते शरीयत अधिनियम 1937 पारित किया गया जोकि मुसलमानों के महत्वपूर्ण मामलों पर मुस्लिम विधि लागू करवाने का प्रभाव रखता है।

बीजशब्द: मुस्लिम, शरीयत, प्रयोज्यता

प्रस्तावना

कोई भी व्यक्तिगत विधि विशेष लोगों/ समुदायों पर लागू होती है न कि विशेष क्षेत्र के निवासियों पर। इसी तरह मुस्लिम विधि मुस्लिमों पर लागू होती है जो अपने आपको मुसलमान मानते हैं या मुसलमान हैं।

मुसलमान कौन है? जो व्यक्ति इस्लाम धर्म में आस्थावान होकर यह मानता है कि 'अल्लाह एक है तथा पैगम्बर हजरत मोहम्मद उनके एक मात्र रसूल है तथा अलकुरान मुस्लिमों का धार्मिक ग्रंथ है।

वे सभी मुस्लिम है कोई भी मुसलमान जन्म से या धर्म परिवर्तन द्वारा इस्लाम धर्म स्वीकार कर मुसलमान हो सकता है। शरीयत के अनुसार कोई बालक या बालिका के माता-पिता में से एक भी मुस्लिम है तो बच्चा मुस्लिम माना जायेगा। यहाँ यह भी देखने योग्य है कि बच्चे का पालन पोषण मुस्लिम धर्म की मान्यताओं के अनुसार ही होना जरूरी है। कोई भी स्वस्थचित्त संविदा करने के योग्य व्यक्ति धर्म परिवर्तन की सार्वजनिक सद्भावनापूर्वक घोषणानुसार मुसलमान हो सकता है।

जब दोनों पक्षकार एक ही संप्रदाय के हो तब उसी संप्रदाय की विधि लागू होगी। यदि दोनों अलग-अलग संप्रदाय के है तो प्रतिवादी के संप्रदाय की विधि लागू होगी। किंतु यदि कुछ विशेष मामलों में दोनों में से कोई एक पक्षकार गैर मुस्लिम होकर प्रतिवादी मुस्लिम है तो मुस्लिम विधि लागू होगी।

मुस्लिम विधि की प्रयोज्यता

भारत में अंग्रेजों के शासन काल से पहले मुस्लिम मुस्लिम विधि से ही शासित प्रशासित होते थे किन्तु अंग्रेजों के शासनकाल में ''कानून एवं प्रशासन'' की प्रणाली नीति को अपनाया गया। जो कि व्यक्तिगत मुद्दों को छोड़कर अन्य सभी लोगों पर समान रूप से लागू होती थी चूंकि वैयक्तिक मामले धर्म विशेष से संबंधित होने

पर उन्हें वैयक्तिक धर्म विधि नियमों से विनियमित होने की सुविधा प्रदान की गई अर्थात भारतीय न्यायालय संपूर्ण मुस्लिम विधि को लागू न करते हुए वरन् उनका कुछ अंश या हिस्सा लागू करते हैं।

वर्तमान में भारत में मुस्लिम विधि में समस्त नियम अनुप्रयोज्य न होते हुए कुछ अंश ही अनुप्रयोज्य है जोकि प्रस्तुत शीर्षक अंतर्गत वर्णित हैं।

1. वह नियम जो विधायिका द्वारा स्पष्टतः लागू कर निर्देशित किये गये है जोकि अनुप्रयोज्य है जैसे उत्तराधिकार।
2. वह नियम जो न्याय साम्या सदविवेक के आधार पर लागू किये जाते है जैसे हकशुफा।
3. कुछ नियम विधि किसी भी रूप में लागू नहीं है जैसे मुस्लिम दंड विधि मुस्लिम साक्ष्य विधि बताये गये मुद्दों पर उनकी व्यक्तिगत विधि लागू होती है। कुछ हद तक परंपरा व रूढ़ि लागू हो सकती है किन्तु वह कुरान व सुन्ना के अनुकूल होनी चाहिए।

भारतीय मुस्लिमों के दिल में हमेशा से अपने निजी व्यक्तिगत मामलों में केवल मुस्लिम विधि ही लागू हो इसको लेकर कुछ दुविधायें व शकशुबा बना रहा। क्योंकि आजादी से पहले आंग्ल न्यायालयों द्वारा संपरिवर्तित सम्बंधी कुछ उत्तराधिकार के मामलों में हिन्दू विधि लागू कर दी जाती थी, जैसे कोई हिन्दू व्यक्ति अपने जीवनकाल के किसी भी समय मुस्लिम धर्म अपना लेता है तथा उसकी मृत्यु के बाद विधितः उसके उत्तराधिकार के मामले मुस्लिम व्यक्तिगत विधि से ही हल होने चाहिए क्योंकि उसकी मृत्यु मुस्लिम के रूप में हुई होती है लेकिन आंग्ल-न्यायालय उसके उत्तराधिकार के मामलों में प्रथागत हिन्दू विधि के अनुसार विभाजन करती थी। क्योंकि उनका मानना था कि उक्त व्यक्ति ने जीवन का एक लंबा हिस्सा हिन्दू के रूप में व्यतीत किया होता है। अतः उस पर हिन्दू विधि लागू होती थी इस बात को लेकर मुस्लिम लोग/ समाज आपत्तिजनक व विरोधाभासी मानते थे और सोचते थे कि इस तरह से तो मुस्लिम विधि के दूषित होने का खतरा/ संभावना प्रबलतम बनी रहेगी।

अतः इस व्यक्तिगत विधि समस्या के समाधान स्वरूप किसी भी अन्य विधि प्रथा को मुस्लिम विधि से दूर रखने हेतु केन्द्रीय विधानमंडल ने 1937 में मुस्लिम विधि की प्रयोज्यता हेतु शरीयत एक्ट 1937 पारित करवाया। जो कि मुसलमानों के महत्वपूर्ण मामलों में मुस्लिम व्यक्तिगत विधि को प्रभावी तौर पर लागू करवाता है।

अधिनियम की धारा 2 के अनुसार यह मुस्लिम विधि की अनुप्रयोज्यता/ अनुप्रयोग के संबंध में उपबंध करती है कि "विपरीत रूढ़ि, रिवाज परंपरा होने के बाद भी इच्छा पत्र विहीन उत्तराधिकार स्त्रियों की विशेष संपत्ति, जिसमें उत्तराधिकार द्वारा या संविदा, हिबा या निजि विधि के किसी अन्य उपबंध के अंतर्गत प्राप्त की गई निजी संपत्ति सम्मलित है। विवाह-विच्छेद जिसमें तलाक, इला जिहार लिअन खुला, मुबारत, सम्मिलित है, निर्वाह वृत्तिः मैहर, वलायत (संरक्षकता), हिबा (दान) न्यास, न्यस्त संपत्तियां और वक्फों (खैराती तथा धार्मिक धर्मस्वों से भिन्न) से संबद्ध प्रश्नों के विषय में एसे वादों में पक्षकार मुस्लिम हों, विनिश्चिय का नियम मुस्लिम निजी विधि (शरीयत) ही होगी परन्तु जो विषय शरीयत के प्रयोग के अनुरूप घोषित किये गये है इच्छापत्रहीन उत्तराधिकार, महिलाओं की विशेष संपत्ति, विवाह, विवाह-विच्छेद, मैहर, निर्वाह वृत्ति, संरक्षकता, दान-न्यास एवं न्यस्त संपत्तियाँ और वक्फ।

शरीयत अधिनियम की धारा तीन उपबंध करती है कि जो कोई विहित प्रारूप में विहित प्राधिकारी के समक्ष घोषणा करके कुछ विषयों पर संतुष्ट कर सकता है जैसे वह एक मुस्लिम हैं, वह भारत का निवासी है, वह भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत संविदा करने में सक्षम है तो शरीयत अधिनियम का लाभ ले सकता है।

शरीयत अधिनियम की धारा 4 राज्य सरकारों को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है तथा अधिनियम में कुछ प्रावधानों को निरस्त भी कर सकती है।

(2) इस प्रकार दत्तक ग्रहण, वसीयत एवं रिक्थ (अधिकार में प्राप्त धन) धारा 2 में वर्णित नहीं है अतः यदि किसी मुस्लिम ने अपने इस मामले में भी मुस्लिम विधि लागू कराने की अच्छा व्यक्त नहीं की है तो अदालतें उक्त तीनों विषयों पर मुस्लिम विधि लागू नहीं करेगा। किंतु मुस्लिम द्वारा इस आशय की यदि घोषणा की गई है तो न केवल उसके वरन उसकी संतानों तथा वंशजों के दत्तक ग्रहण तथा वसीयत से संबंधित मामलों पर मुस्लिम विधि लागू होगी यह निर्धारित प्रक्रिया शरीयत अधिनियम की धारा 3 (2) तथा 4 में वर्णित की गई है।

(3) इस तरह अधिनियम की धारा 4 में स्पष्ट रूप से उपबंधित कर दिया है कि उपरोक्त मामले (परिवार से संबंधित) होकर यदि वाद के दोनों पक्षकार मुस्लिम हैं तो अदालतें मुस्लिम विधि ही लागू करेगी अन्य कोई नियम/विधि लागू करने हेतु स्वतंत्रता नहीं दी गई है।

मुस्लिम विधि के प्रतिकूल कोई भी प्रथा, रूढ़ि, रीति-रिवाज अब वैयक्तिक मामलों में लागू नहीं की गई है वर्णित मामलों में अदालतें मुस्लिम विधि को ही लागू करने में न केवल सक्षम है बल्कि बाध्य भी है।

उपसंहार

विधायन द्वारा निर्देशित है कि मुस्लिम विधि के विषय-अनुप्रयोज्य विषय पर भारत में निवास करने वाले सभी मुस्लिमों पर लागू है। जब तक कि वैधानिक अधिनियमों द्वारा परिवर्तित या निरस्त नहीं कर दी जाती। शरीयत अधिनियम मुसलमानों पर मुस्लिम निजी विधि के अनुप्रयोज्य का वैधानिक अधिकार है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. अल कुरान
2. हदीस
3. शरीयत एक्ट 1937
4. डॉ. सिन्हा, मुस्लिम विधि 2012
5. अकील अहमद, मुस्लिम विधि 2012